उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

दिनाँक 30–03–2020 को अपराह्नः 2:30 बजे कमेटी कक्ष में सम्पन्न कार्य परिषद् के 109वीं बैठक का कार्यवृत्त

कार्यसूची बिन्दु संख्या 109.01

दिनाँक 23–03–2020 को वित्त समिति की सम्पन्न 43बैठक की अनुशंसा पर विचार

4. **जेल में बन्द सजायाफ्ता कैदियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने पर विचार**

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29–01–2020 में निर्णय लिया गया था की जेल में बन्द कैदियों को प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाय। वर्तमान में विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी एवं कारागार अधीक्षक के बीच बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया की सजायाफ्ता कैदी किसी भी प्रकार का शुल्क देने में असमर्थ है। अतः पाठ्यक्रम शुल्क में इन्हें 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाय। अतः प्रकरण वित्त समिति की समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार जेल में बन्द सजायाफ्ता कैदियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यकमों (प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को छोडकर) में प्रवेश लेने पर शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की संस्तुति की।"

वित्त समिति की अनुशंसा कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद् ने वित्त समिति की अनुशंसा पर विचार किया।

वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।

_____ _____ _____

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

दिनाँक 04–07–2020 को सम्पन्न कार्य परिषद् की 108वीं बैठक के कार्यसूची बिन्दु संख्या 108.09 का कार्यवृत्त

कार्यसूची बिन्दु संख्या 108.09

ट्रॉंसजेण्डरों को विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क एवं जेल के कैदियों को 50% शुल्क में छूट प्रदान किए जाने पर विचार

वर्तमान समय में शासन एवं समाज ट्रांसजेण्डरों के प्रति नए दायित्वों को महसूस किया जा रहा है एवं कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी के अनुक्रम में उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने ट्रांसजेण्डरों के लिए अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रस्ताव है ताकि वे भी शिक्षित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके।

इसी के साथ यह विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति यह महसूस करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो, सुधार किया जा सकता है। अतः विश्वविद्यालय ने जेल के कैदियों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए शुल्क में 50% की छूट (केवल प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) देने का प्रस्ताव है।

अतः प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

कार्य परिषद् ने ट्रॉंसजेण्डरों को विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रवेश निःशुल्क दिये जाने एवं जेल में बन्द सजायाफ्ता कैदियों को जेल अधीक्षक द्वारा अग्रसारित किये जाने पर शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश शुल्क में 75 प्रतिशत (प्रायोगिक कार्यक्रमों को छोड़कर) की छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

_____ _____ _____